



प्रेस नोट - दिनांक 26.12.2024

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।



गैर इरादतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.12.2024 को कमलेश पुत्र चन्द्रलाल निवासी लालपुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव का शराब को लेकर झगडा हुआ था जिसमें मारपीट के दौरान पास में पड़े हुए फन्टी से प्रहार कर दिया जिससे कलमेश उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। जिसके सन्दर्भ में थाना अजगैन पर दिनांक 25.12.2024 को मु0अ0स0 414/2024 धारा 105 BNS व 3(2)5 SC ST ACT बनाम संजू कश्यप पुत्र राम शंकर कश्यप निवासी नवई थाना अजगैन उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत कर आज दिनांक 26.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा संजू कश्यप उपरोक्त को आला कत्ल लकड़ी की फंटी बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संजू कश्यप पुत्र राम शंकर कश्यप निवासी नवई थाना अजगैन उन्नाव ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0निरी0 अवनीश कुमार सिंह
2. का0 रोहित कुमार
3. का0 योगेश कुमार
4. का0 पुष्पेन्द्र सिंह





प्रेस नोट - दिनांक 26.12.2024

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव ।



दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- थाना सोहरामऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 234/2024 धारा 137(2)/87/64 BNS व 3/4 POCSO ACT में वांछित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम ज्ञानपुर बरहा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को आज दिनांक 26.12.2024 को बिलौरा मोड़ नयाखेड़ा के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजीत कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम ज्ञानपुर बरहा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री लक्ष्मी प्रसाद
- 2.का0 भूपेन्द्र नाथ शुक्ला





प्रेस नोट - दिनांक 26.12.2024

थाना बिहार, जनपद उन्नाव ।



विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन की आरोपी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन की आरोपी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- - दिनांक 25.12.2024 को आवेदिका / वादिनी श्रीमती प्रिया देवी पत्नी श्री अरुण कुमार निवासी ग्राम खेसुवा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसमें बताया कि गांव की शारदा पत्नी स्व० चन्द्रशेखर , राहुल , अजय , विजय , आशीष और मनीष पुत्रगण चन्द्रशेखर द्वारा वादिनी श्रीमती प्रिया व इनके परिवार की महिलाओं को जबरन ईसाई धर्म कबूल करने हेतु बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है तथा वादिनी के साथ मारपीट की गयी । आवेदिका / वादिनी श्रीमती प्रिया देवी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग मु०अ०सं० 319/2024 धारा 191(2)/115(2)/351(2) बीएनएस व 3/5(1) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम – 2021 में विपक्षीगणों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 26.12.2024 को थाना बिहार पुलिस द्वारा अभियुक्ता शारदा पत्नी स्व० चन्द्रशेखर निवासी ग्राम खेसुआ थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 60 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

शारदा पत्नी स्व० चन्द्रशेखर निवासी ग्राम खेसुआ थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 60 वर्ष

दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 नरेन्द्र सिंह थाना बिहार ।
- 2.हे0कां0 सईद अहमद थाना बिहार ।
- 3.म0का0 रुपा थाना बिहार ।

